समाचार

गदंगी करने व उद्यान में कचरा डालने पर निगम ने लगाया अर्थदण्ड

(शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने कार्यवाही करने दिए थे निर्देश)

कोरबा 07 जनवरी 2025 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम अमले ने स्मृति उद्यान में कचरा डालने तथा गदंगी फैलाने के परिणाम स्वरूप वहॉ पर संचालित दो प्रतिष्ठानों मिलेट कैफे एवं श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर पर अर्थदण्ड लगाया। अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके द्वारा पुनः उक्त कृत्य पुनरावृत्ति न की जाए अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

निहारिका घंटाघर रोड पर स्थित नगर पालिक निगम कोरबा के स्मृति उद्यान के सामने संचालित प्रतिष्ठान मिलेट कैफे एवं श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा स्मृति उद्यान में कचरा डाला गया था तथा गदंगी फैलाई गई थी, इसकी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त श्री पाण्डेय ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा अर्थदण्ड लगाने के निर्देश दिए थे। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक श्री सुनील वर्मा के द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण कर उद्यान में डाले गए कचरे की सफाई करने कर्मचारियों को निर्देश किया तथा वहॉ पर कचरा डालने वाले प्रतिष्ठान मिलेट कैफे व श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर पर 500–500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे पुनः कचरा न डाले अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

सार्वजनिक स्थान पर कचरा न डालें, शहर की स्वच्छता में सहयोग दें – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने घरों, दुकानों प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट को सड़क, नाली, चौक–चौराहों, उद्यान या अन्य किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कदापि न डालें, अपशिष्ट को डस्टबिन में संग्रहित करके रखें तथा निगम द्वारा संचालित

डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था के तहत अपशिष्ट संग्रहण हेतु पहुंचने वाली स्वच्छता दीदियों व सफाई मित्रों के रिक्शे व वाहन में ही कचरे को दें। उन्होने कहा है कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने शहर को साफ–सुथरा रखें, स्वच्छता के प्रति सजग रहें, न तो खुद गदंगी करें और न ही किसी को गदंगी करने दें।